आचरण संहिता

बैंकों और आवास वित्तीय संस्थाओं के साथ इम्पैनल किए गये सभी मूल्यांकनकर्ताओं को इस आचरण संहिता का सख्त अनुपालन करना होगा :

- किसी प्रकार के अभिमत का प्रकटन तभी करना चाहिए, जब वह पर्याप्त ज्ञान और विश्वसनीय धारणा के पश्चात व्यक्त होता है.
- योग्यताओं और कार्यानुभव का गलत विवरण देने के संबंध में अपने पर रोक / नियंत्रण रखें.
- व्यापार के दौरान प्राप्त समस्त सूचना गोपनीय रखें.
- व्यवसाय के आचरण और अभ्यास में समेकन और पारदर्शिकता अपनावें.
- बैंक या आवास वित्तीय संस्थान से लिखित आदेश के संदर्भ को छोड़कर, एक ही ग्राहक के संबंध में दूसरे मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन की पुन: समीक्षा नहीं किया करें. यदि कर रहे हैं तो उक्त मूल्यांकक को इसकी सूचना दें.
- ऐसी निरपेक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत किया करें जो मानकों के साथ मेल खाती है और संपदा के मौलिक उद्देश्य से मेल खाती है. वह केवल ग्राहक की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार नहीं की गयी हो.
- जहॉ इच्छा और विधि में संघर्ष होता है, स्थिति का स्पष्ट परिचालन करें.
- अपना आचरण इस प्रकार से करें कि उससे व्यावसायिक स्थिति पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पडें या उससे व्यवसाय की प्रतिष्ठा को नुकसान हो.
- समय समय पर यथा संशोधित इस कूट का आचरण करें.